न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा

उपस्थित– उपेन्द्र कुमार, प्रभारी ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या – 342 / 26

46 / 26

सावित्री देवी आवेदक

बनाम

बिहार राज्य अभियोजन

कौआकोल थाना कांड संख्या– 480 / 2025

अंतर्गत धारा –191(2), 191(3), 190, 329(3), 324(4), 115(2) 118(2) 117(2), 109, 103(1) 61(2) बी0एन0एस0

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता

24.03.2026 2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार पीठासीन पदाधिकारी, बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी पटना गये है। न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध आवेदक / अभियुक्त सावित्री देवी की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत हेतु यह आवेदन, सूचक ब्रह्देव साव के फर्द बयान के आधार पर पंजीबद्ध कौआकोल थाना के अपराध कमांक 480 / 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 329(3), 324(4), 115(2) 118(2) 117(2), 109, 103(1) 61(2) बी0एन0एस0 से उदभूत अपराधिक प्रकरण मे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र व शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान करने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। उभय पक्ष का तर्क श्रवण किया गया। अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि सूचक कौआकोल थाना के पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपना फर्द बयान दर्ज कराया कि सूचक अपने पुस्तैनी जमीन पर बाउंड्री दिया था उसी बाउंड्री को उमेश साव, धर्मेन्द्र साव, राजेन्द्र साव, सावित्री देवी, रीना कुमारी एवं धर्मेन्द्र साव की पत्नी सभी आए और बाउंड्री को तोड़ दिया तथा सूचक के चचेरे भाई लखन साव के मकान का करकट भी तोड़ दिया। सभी लोग अपने–अपने हॉथ मे लोहे की खंती, कुदाल, तांगी एवं तलवार लिये हुए थे। इसका विरोध सूचक एवं उसके परिवार के द्वारा किया गया तो उमेश साव, धर्मेन्द्र साव, सावित्री देवी, रीना कुमारी, धर्मेन्द्र साव की पत्नी, दिनेश साव, संजीत कुमार, सुजीत कुमार एवं कुंदन कुमार सभी सूचक एवं उसके चचेरे भाई लखन साव एवं भाभी बिमली देवी तथा सूचक पर लोहे की खंती, कुदाल, तांगी एवं तलवार से हमला कर दिया। उमेश साव खंती से लखन साव के सिर पर प्रहार किया जिससे उनका सिर जख्मी हो गया। राजेन्द्र साव सूचक के सिर पर टांगी से प्रहार किया जिससे वे जख्मी हो गये। धर्मेन्द्र साव अपने हाथ मे लिए कुदाल से बिमली देवी के सिर पर प्रहार किया परन्तु उनके द्वारा हाथ से रोकने पर उनका दाहिना हाथ टुट गया। इसकी सूचना सूचक द्वारा पुलिस को दी गयी। पुलिस आकर सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौआकोल मे भर्ती कराया गया जहां से तीनों जख्मियों को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल, नवादा रेफर किया गया परन्तु रास्ते मे सूचक के चचेरे भाई लखन साव की मृत्यु हो गयी। इस आपराधिक षडयंत्र के पीछे पूर्णरूपेण रामलखन साव का हाथ है।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
उपस्थित– उपेन्द्र कुमार, प्रभारी ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या – 342/26
46/26

सावित्री देवी
आवेदक

बनाम

बिहार राज्य
अभियोजन

कौआकोल थाना कांड संख्या– 480/2025
अंतर्गत धारा –191(2), 191(3), 190, 329(3), 324(4), 115(2) 118(2) 117(2), 109, 103(1) 61(2) बी0एन0एस0

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता
24.03.2026 2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

लगातार	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में उल्लिखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह तर्क किया गया है कि आवेदक का पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन कमांक 08/2026, दिनांक 19.01.2026 को अस्वीकृत किया जा चुका है। उसके पश्चात आवेदक इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय मे किसी तरह का कोई जमानत आवेदन दाखिल नही किया है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध जो भी आरोप लगाया गया है वह गलत झूठा एवं मनगढंत है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नही है। आवेदक दिनांक 07.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानते हुए जमानत बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार एवं रजामंद है। उपरोक्त आधारों पर बल देते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के आधार पर इस नियमित जमानत आवेदन का विरोध किया गया। सुना एवं जमानत आवेदक के साथ संलग्न दस्तावेज, विचारण न्यायालय की संचिका एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक इस मामले का प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है तथा इनपर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर लोहे की खंती, कुदाल, टांगी एवं तलवार एवं विभिन्न हथियारों से मारपीट करने का अरोप है एवं इस घटना मे आहत लखन साव की मृत्यु हो गयी एवं उनके मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके शरीर पर लोहे के खंती, तलवार, टांगी एवं कुदाल से एवं लोहे के विभिन्न हथियार से हमला कर मारपीट कारित किए गए चोट के बारे मे तथ्य अंकित किया गया है जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान की गयी जिसकी विवरणी केस डायरी के कंडिका–67 मे दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक लखन साव के शरीर पर मृत्यु से पूर्व जख्म पाया गया एवं उनकी मृत्यु का कारण कड़े एवं भोथरे पदार्थ एवं भारी हथियारों से मारपीट के कारण पेट एवं सिर के जख्मों के कारण हुई है। केस डायरी के कंडिका–70 मे सूचक ब्रह्देव साव के पुनः बयान मे यह तथ्य प्रकाश मे आयी है कि अन्य सह अभियुक्त सहित आवेदक के द्वारा ही उक्त घटना के दौरान हमलावरों को हथियार प्रदान किया गया था। घटना मे उपयोग किये गये हथियारों की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गयी जिसकी

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, नवादा
उपस्थित– उपेन्द्र कुमार, प्रभारी ए0एस0जे0–तृतीय, नवादा
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या – 342/26
46/26

सावित्री देवी ... आवेदक

बनाम

बिहार राज्य ... अभियोजन

कौआकोल थाना कांड संख्या– 480/2025
अंतर्गत धारा –191(2), 191(3), 190, 329(3), 324(4), 115(2) 118(2) 117(2), 109, 103(1) 61(2) बी0एन0एस0

1. आवेदक की ओर से – विद्वान अधिवक्ता

24.03.2026 2. अभियोजन की ओर से – विद्वान अपर लोक अभियोजक

लगातार	विवरणी केस डायरी के कंडिका–24 मे दर्ज है। मामले के अनुसंधान के कम में साक्षियों द्वारा आवेदक की संलिप्तता के संबंध मे अभियोजन प्रकरण का समर्थन किया गया है। इस घटना मे दो अन्य व्यक्ति सूचक ब्रह्देव साव एवं मृतक की पत्नी बिमली देवी को भी गंभीर रूप से चोट आयी है। जख्म प्रतिवेदन केस डायरी के कंडिका–71 मे दर्ज है तथा दोनो के शरीर पर पाये गये जख्म गंभीर प्रकृति की बतायी गयी है। पूर्व मे आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों, वर्तमान परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन एवं केस डायरी मे आए तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए आवेदक को इस मामले मे नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। परिणामस्वरूप आवेदक/अभियुक्त सावित्री देवी की ओर से प्रस्तुत इस नियमित जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। Upendra Kumar (उपेन्द्र कुमार) प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय नवादा